

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैंड कमेटी (यू०पी०एस०बी०सी०) की दिनांक 20 नवम्बर, 2023 को लोक भवन में स्थित सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति- संलग्नानुसार

बैठक में RoW पॉलिसी, Digital Communication Readiness Index, CBud तथा addendum in model building laws इत्यादि बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा उन पर आ रही कठनाईओं के सम्बन्ध में दूर संचार विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया:-

उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा 5G Rollout के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधित अधिनियम को शासनादेश संख्या-2905/78-1-2023-45/आईटी/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2023 के माध्यम से अंगीकृत किया जा चुका है, परन्तु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रिक पोल के सापेक्ष 5G के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क को लागू नहीं किया गया है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक रोड रेस्टोरेशन के मद में माँग की जा रही धनराशि उक्त नीति के अनुकूल नहीं है। उक्त के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा नगर निकाय राज्य सरकार द्वारा निर्गत राइट ऑफ वे पालिसी के इतर कार्य कर रहे हैं।

उक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत संशोधित राइट ऑफ वे पालिसी संख्या.2905/78.1.2023.45आईटी/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2023 में प्रस्तावित दरों को पावर कारपोरेशन बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है तथा निर्देश शीघ्र ही निर्गत कर दिया जायेगा तथा नयी दरें निर्देश जारी किये जाने की तिथि लागू होगी एवं सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाता को पूर्व देयकों का भुगतान किया जाना होगा।

विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा अंगीकृत किये जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से अपने निकायों को संशोधित राइट ऑफ वे पालिसी संख्या.2905/78.1.2023 /45आईटी/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2023 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पृथक रूप से पत्र निर्गत कर दिया जाय।

(कार्यवाही-यूपीपीसीएल, एवं लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभाग)

2- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि यदि किसी अन्य कार्य हेतु खुदाई की जाती है एवं इसकी वजह से भूमिगत तार मार्ग अवसंरचना प्रभावित होती है तो इस

स्थिति में सेवाप्रदाता को बिना किसी अनुमति के 60 दिवसों तक भूमि के ऊपरवैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तार लगाने की छूट प्रदान की जानी चाहिये इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत संशोधन नियम दिनांक 07 अगस्त, 2023 को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जाना शेष है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि उक्त को कैबिनेट के माध्यम से अंगीकृत करा लिया जाय।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

3- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा 5G आवेदन फार्म पोर्टल पर संचालित किया जाना शेष है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 5G आवेदन फार्म पोर्टल पर लाइव किया जा चुका है।

4- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित Gati ShaktiNMP पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा Street Furniture जैसे कि Electric Poles, Bus Terminals and shelters, Traffic Light Poles, Government Buildings, Street Light and bill boards इत्यादि की सूचना उपलब्ध कराई जा रही है, परन्तु Electric Poles की ऊंचाई अंकित नहीं की जा रही है, अतः संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि उक्त पर कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये।

(कार्यवाही-उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड)

5- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा जनवरी, 2024 में अयोध्या श्री राम जन्म भूमि क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में अयोध्या क्षेत्र में भारी भीड़ की वजह से दूर संचार की सेवायें प्रभावित होने की सम्भवना है इस स्थिति में टेलीकॉम सेवा प्रदाता अतिरिक्त मोबाइल टावर्स की स्थापना कर रहे हैं, अतः यह अनुरोध किया गया कि अयोध्या जिले के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी महोदय को अनापत्ति प्रमाण में आवश्यक सहयोग प्रदान किये हेतु निर्देशित किया जाय।

उक्त अनुरोध के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में मण्डलायुक्त एवं जिलाअधिकारी पूर्व से अवगत है, अतः आप अपने स्तर से सम्पर्क स्थापित कर कार्य सुनिश्चित करा ले तथा प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स को निर्देशित किया गया अपने स्तर से एक पत्र अयोध्या मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित कर दें।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

6- Call before U Dig (CBuD) App के उपयोग के सम्बन्ध में उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों में काफी बेहतर स्तर तक App का उपयोग किया जा रहा है परन्तु “नमामि गंगे” परियोजना के अन्तर्गत जल निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत Optical Fiber Cables क्षतिग्रस्त होने से दूर संचार सेवायें प्रभावित हो रही हैं तथा वित्तीय हानि भी हो रही है, इसके अतिरिक्त टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2023 को अंगीकृत किया जाना शेष है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग को CBuD के उपयोग हेतु पत्र प्रेषित कर दे एवं अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2023 को कैबिनेट के माध्यम से अंगीकृत करा ली जाय।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

7- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि भारत ने प्रोजेक्ट एवं 4G Saturation के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहें मोबाइल टॉवर एवं तार अवसंरचना के सापेक्ष वन विभाग की सीमा क्षेत्र में प्रस्तावित स्थलों पर वन विभाग द्वारा Premium charges तथा Lease Rent की माँग की जा रही जिसे राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बी.एस.एन.एल द्वारा 14 मोबाइल टॉवर स्थापना सम्बन्धी तथा 03 भूमिगत तार अवसंरचना सम्बन्धी प्रस्ताव छूट प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त हुये हैं, जिनको माननीय मंत्री परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

8- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अनुरोध किया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत संशोधित Model Buliding By Laws 2022 को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जाना शेष है।

उक्त के क्रम में प्रतिनिधि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अंगीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन)

9- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि 4G Saturation के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थलों में से कतिपय स्थलों तक अभी तक बिजली की उपलब्धता नहीं है अतः Sites के Electrification करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त अनुरोध के क्रम में प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि 02 स्थल (ग्राम:सकरा, सकरी, जनगणना कोड:-173659, ब्लॉक-पचपेड़ा, जिला बलरामपुर, गांव:कोल्हुआमाफी, जनगणना कोड:-155704, ब्लॉक-कर्वी, जिला चित्रकूट) के Electrification हेतु आवश्यक

धनराशि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव आर.डी.एस.ओ. भारत सरकार प्रेषित किया जा चुका है इसके अतिरिक्त सभी स्थलों तक बिजली की उपलब्धता है यदि अन्य किसी स्थल पर बिजली उपलब्ध करायी जानी है तो आवेदक आवेदन कर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(कार्यवाही-बी.एस.एन.एल एवं यूपीपीसीएल)

10- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा अवगत कराया गया कि जिस प्रकार Gati Shakti Sanchar Portal पर Dispute/Grievance Resolution Module कार्य कर रहा है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के RoW पोर्टल पर भी Integrate कर लिया जाय।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि स्टेट RoW पोर्टल पर Dispute/Grievance Resolution Module का विकास किया जा रहा है विकसित होने के उपरान्त Gati Shakti Sanchar Portal एकीकरण कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती है तथा तदोपरान्त आवेदक द्वारा 45 दिनों तक कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें Deemed Reject होने की व्यवस्था पोर्टल पर कर दी गई है।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

11- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा जिला स्तरीय कमेटी की बैठक नहीं किये जाने से अवगत कराया गया एवं आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

इस विषय में निर्देशित किया गया कि सभी जनपदों को डीएलसी बैठक कराये जाने हेतु पृथक से आदेश निर्गत कर दें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये की इस बिन्दु को प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी चर्चा में लाया जाय।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

12- उप-महानिदेशक, दूर संचार विभाग (UP East) द्वारा पूर्व से स्थापित Mobile Towers हेतु One Time Settlement कराये जाने का अनुरोध किया गया।

One Time Settlement हेतु अन्य राज्यों में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है का अध्ययन कर आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग संयुक्त रूप से अपना सुझाव एवं प्रस्ताव उपलब्ध करायें जिसके पश्चात् इस विषय में निर्णय लिया जा सके।

(कार्यवाही-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

बैठक सधन्वाद सम्पन्न हुई।

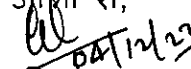

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-1852/78-1-2023-666/2020
लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2023

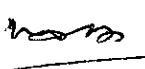
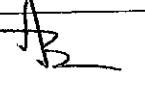
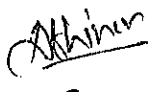
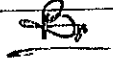
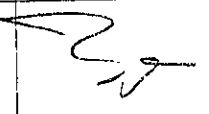
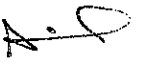
उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
- 10- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 12- उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग उ0प्र0 (पूर्व), लखनऊ।
- 13- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 14- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
- 15- गार्ड फाइल।


25.11.23

आज्ञा से,

(रवि रजन)
विशेष सचिव।

मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड क. (यू०पी०एस०बी०सी०) की बैठक दिनांक 20-11-2023 को अपरान्ह 12:45 से 1:15 तक लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक की उपस्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं०/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.	उदयनाथ सिंह	वि. स.	कानून	9415459458	
2.	Sheerender Singh	DEM (BM)	BSNL	9415010345	
3.	अजयकांत पाण्डे	संयुक्त सचिव पंचायतीराज विभाग		9454413886	
4.	श्रीधर शर्मा जन	प्रोग्रामर/अधीक्षक कानून/कोर्ट	Police	9454400349	
5.	अतुल शर्मा	PGM (BSNL)	BSNL	9455005550 pgmbinufe@gmail.com	
6.	Amit S.	spl Sec N.v	V.D		
7.	Yogesh Kumar	VS, Home	Home	9415813860	
8.	A.K. Verma	DGM (BSNL)	BSNL	9412000529	
9.	Babu Ram	PGM (BSNL)	BSNL	9415100027	
10.	Rakesh Kumar	DDG (RI)	UPW LSA Meerut	98217061	
11.	A.C. Mishra	DDG R	VPE	941181400	
12.	A.K. RANJAN	DDG Security	UP East LSA	8004001122	

	SHUBHA N BHAMBHANI	Asst Dy Telecom UP (West)	DOT	9868218040 sh.bhambhani@gov.in	43
14.	MUDIT MISHRA	DIRECTOR Technology	Do T	9013131529 dinh.upt-dgt-dot@gov.in	44
15.	S.P. Maurya	EE	UP Pollution Control Board Luck.	webmaster@uppcb.in	45
16.	NILESH GINAP KATIKAR.	Town Planner.	Town & Country Planning Deptt.	—	46
17.	अनिल कुमार	विशेष अधिकारी	एन एच अभिन	9454412444	47
18.	सुरज लाल भारती	निदेशक संचयन	ग्रामीण विकास	945197002	48
19.	मीलन लाल	उप निदेशक	2175284647	9455682446	49
20.	विशेष अधिकारी	विशेष अधिकारी	जोड़ निर्माण विभाग	9415290035	50
21.	Anupam Gupta	PCOI/Nodal officer	Forest	9456246594	51
22.	Ranvij Kumar	MD UP Power Corp Ltd.	337	7380388883	52
23.	Ravi Kumar	MD UP LC	IT electronics		53
24.	Mohit Kumar	Spcl Sery	IT/E	955977423	54
25.					55
26.					56
27.					57
28.					58
29.					59